न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः— अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं. 06/2020
जी.सी.एम.एस. : 2020/00311

1. कश्मीर सिंह पुत्र छबेग सिंह जाति रामगढ़िया साकिन रामगढ़ संगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

—अपीलांट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत डाबला तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. जसवीर कौर पत्नी लखविन्द्र सिंह जाति रामगढ़िया साकिन रामगढ़ संगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
3. गुरजिन्द्र सिह पुत्र लखविन्द्र सिंह जाति रामगढ़िया साकिन रामगढ़ संगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
4. अमनदीप कौर पुत्री लखविन्द्र सिंह जाति रामगढ़िया साकिन रामगढ़ संगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
5. अमरीक सिंह पुत्र लखविन्द्र सिंह जाति रामगढ़िया साकिन रामगढ़ संगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

—रेस्पोंडेंट

अपील

उपस्थितिः—
1. श्री महेन्द्र सिंह, वकील अपीलांट
2. श्री गुरबक्श सिंह, वकील रेस्पोंडेंट सं. 2 ता 5

—: निर्णय :—

दिनांक :27.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट ने अपील मय प्रा0 पत्र धारा 5 दफा 5 मियाद अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 05.11.2019 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान जिसकी रूह से चक 1 एलसी के मुरब्बा नं. 39 प.नं. 128/343 के कि.नं. 13/1 में 0.127है. कि.नं. 14, 15 प्रत्येक सालम सालम कुल 0.633है. नहरी भूमि का इन्तकाल दर्ज करने के आदेश पारित हुए के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट के नाम से 1 एलसी तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. पराना 13 नया 11 में मु.नं. 39 प.नं. 128/343 के कि.नं. 13/1 में 0.127है. नहरी, 14 में 0.253है. नहरी, 15 में 0.253है. नहरी इस प्रकार कुल 0.633है. नहरी भूमि हैं, जो दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। अपीलांट के सगे भाई लखविन्द्र सिंह के देहान्त के बाद उसका मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिसनामा उसकी भूमि का वारिसान के नाम से इन्तकाल दर्ज किए जाने के लिए हल्का पअवारी को मेरे द्वारा दिए गए थे। हल्का पटवारी व सरपंच ग्राम पंचायत डाबला द्वारा भूल से मेरे नाम की भूमि मुझे मृतक दिखा करके लखविन्द्र सिंह के वारिसान के नाम राजस्व किार्ड में इन्तकाल दर्ज कर दिया गया जिसमें वारिसान की वल्दियत लखविन्द्र सिह के स्थान पर कश्मीर सिंह दर्ज कर दी गई। अपीलांट जीवित हैं। और अपीलांट के भाई के स्थान पर अपीलांट की भूमि लखविन्द्र सिंह के वारिसान के नाम से दर्ज कर दी गई इसलिए आदेश सरपंच ग्राम पंचायत डाबला दिनांक 05.11.2019 खारिज किए जाने योग्य हैं। जो निरस्त कर अपीलांट के नाम भूमि पूर्वानुसार दर्ज करने के आदेश पारित करने तथा लखविन्द्र सिंह के नाम की भूमि चक 1 एलसी के खाता सं. पुराना 54 नया 60 में मु.नं. 39 प.नं. 128/343 के कि.नं. 11 में 0.253है. नहरी, 12 में 0.253है., व 13/2 में 0.126है. नहरी भूमि कुल 0.632है. नहरी भूमि मृतक लखविन्द्र सिंह के वारिसान रेस्पोंडेंट सं. 2 ता 5 के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को तलब किया गया ... सं. 2 ता 5 जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पो. सं. 2 ... 5 के पिता लखविन्द्र सिंह की मृत्यु दिनांक 08.05.2018 को हो गई थी। लखविन्द्र सिंह की मृत्यु ... अपीलांट द्वारा लखविन्द्र सिंह का सगा भाई होने के कारण सूचना देकर ग्राम पंचायत 25 ... सिंहपुर से लखविन्द्र सिंह का वारिसनामा जारी करवाया गया। उक्त लखविन्द्र सिंह की भूमि का ...तन इंतकाल दर्ज करने के कागजात वारिसनामा व मृत्यु प्रमाण पत्र रेस्पा सं. 3 गुरजिन्द्र सिंह ने पटवारी को दिए लेकिन पटवारी ... लखविन्द्र सिंह के स्थान पर कश्मीर सिंह को मृतक मानकर कश्मीर सिंह के हिस्सा व नाम की भूमि का राजस्व रिकार्ड में लखविन्द्र सिंह के वारिसान के नाम भूल से संहबन से इंतकाल दर्ज कर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:56:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

के अपीलांट जीवित हैं। कश्मीर सिंह की भूमि का हक रेस्पों. सं. 2 ता 5 के नाम गलत दर्ज हो गया है। जिसे सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अपीलांट कश्मीर सिंह की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अपीलांट कश्मीर सिंह के नाम से इंतकाल दर्ज कर दिया जाता हैं, तो रेस्पोंडेंट को कोई एतराज नहीं हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील उभयपक्ष में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश सरपंच ग्राम पंचायत डाबला दिनांक 05.11.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी तथा नामान्तरकरण प्रपत्र ग्राम 1 एलसी प्रविष्ठी क्रमांक 358 दिनांक 11.10.2019 स्वीकृत दिनांक 05.11.2019, जमाबंदी 1 एलसी सम्वत 2075–78 खाता सं. 11/13, मृत्यु प्रमाण पत्र लखविन्द्र सिंह, वारिसनामा लखविन्द्र सिंह का अवलोकन किया। रेस्पोंडेंट द्वारा भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने पर सहमति जताई हैं। तथा उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय पारित करने में त्रुटि की गयी हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती हैं तथा अपीलाधीन आदेश सरपंच ग्राम पंचायत डाबला के निर्णय दिनांक 05.11.2019 जिसके द्वारा चक 1 एलसी के मु.नं. 39 प.नं. 128/343 के कि.नं. 13/1 में 0.127है., कि.नं. 14–15 सालम कुल 0.633है. नहरी भूमि का विरास्तन इंतकाल सं. 358 दिनांक 05.11.2019 पारित हुआ हैं को निरस्त किया जाता हैं। तथा संरपंच ग्राम पंचायत डाबला को निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर एवं रिकार्ड आदि की गहन छानबीन के उपरान्त पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:56:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner